न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—326/2018/223 (2018/00326)

1. श्रीमती शांतिदेवी पत्नि हरिराम पुत्रवधु रतना,
2. शिवजी पुत्र स्व0 हरिराम पौत्र रतना,
3. प्रहलाद पुत्र स्व0 मोतीलाल पौत्र सवाई,
4. श्रवण पुत्र स्व0 मोतीलाल पौत्र सवाई,
5. विक्रम पुत्र स्व0 मोतीलाल पौत्र सवाई,
6. रामचंद्र पुत्र स्व0 मोतीलाल पौत्र सवाई,
7. श्रीमती प्रेमदेवी पुत्री स्व0 मोतीलाल पौत्री सवाई,

समस्त जाति जाचक, निवासी ग्राम माखुपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र मोतीलाल, जाति जाचक, नि0 ग्राम माखुपुरा, तहसील व जिला अजमेर ।
2. सुखराम पुत्र रतना, जाति जाचक, निवासी ग्राम माखुपुरा, तहसील व जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 4.4.2016 अंतर्गत वाद संख्या 54/2008.

उपस्थितः—

1. श्री एन0एस0राजावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री सी0पी0शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. रेस्पो0 संख्या 2 स्वंय उपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः— 4.2.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 4.4.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 में वाद विरूद्ध अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम माखुपुरा, तह0 व जिला अजमेर अवस्थित वर्किंग खसरा नंबर 1483 रकबा 1—4—00, 1520 रकबा 00—19—10 के संपूर्ण वर्किंग खसरा नंबर 1477 मिन रकबा 1—8—10, 1516 रकबा 00—2—10 एवं 1517 रकबा 00—07—00 भूमि में 1/2 हिस्सा स्व0 श्रीमती अन्नी

पत्नी कालू का दत्तक पुत्र होने के आधार पर खातेदार घोषित किया जाकर विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति पारित किये जाने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने दिनांक 20.10.2008 को वादी का वाद निरस्त कर दिया । वादी/रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.2008 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के न्यायालय में अपील पेश की जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 11.5.2009 द्वारा निरस्त कर दी जिसकी नजरसानी पेश गई जिसे भी दिनांक 23.6.2009 को निरस्त कर दिया गया । राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादी द्वारा मान0 राजस्व मण्डल में अपील पेश की गई जिसमें निर्णय दिनांक 19.8.2011 से अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि नियमित वाद में तनकियात कायम कर साक्ष्य आदि लेकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करे । प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने पर अधी0न्याया0 ने अपना निर्णय दिनांक 4.4.2016 को पारित कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 4.4.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने लिखित बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपील में वर्णित भूमि के मूल सहखातेदार मोती, रतना व कालूराम पुत्रगण स्व0 सवाई होकर प्रत्येक का अविभाजित भूमि में 1/3, 1/3 हिस्सा निहित करता है जिसमें से 1/3 हिस्से के सहखातेदार कालूराम व उसकी पत्नि श्रीमती अन्नी का नाऔलाद स्वर्गवास हो गया, 1/3 हिस्से के सहखातेदार रतना पुत्र सवाई का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत अपीलांट संख्या 1 व 2 एवं रेस्पो0 संख्या 2 विधिक वारिसान है एवं शेष 1/3 हिस्से के सहहिस्सेदार मोती पुत्र सवाई का स्वर्गवास होने के बाद अपीलांट संख्या 3 से 7 एवं रेस्पो0 संख्या 1 विधिक वारिसान है । अपीलांट संख्या 2 से 5 पेशे से चालक होकर विभिन्न प्राईवेट संस्थान में कार्यरत होने से अधिकतम अजमेर से बाहर रहने के कारण तथा अपीलांट संख्या 1 एवं 8 अशिक्षित ग्रामीण परिवेश की महिला होने से समस्त अपीलांट पूर्ण रूप से वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 सुखराम पर विश्वास करते हुए निर्भर रहे जिसके द्वारा ही अधिवक्ता नियुक्त करते हुए संपूर्ण कार्यवाही की गई परन्तु अपीलांट को वास्तविक तथ्यों से अनभिज्ञ रखते हुए धोखे से हस्ताक्षर करवाते हुए राजीनामा प्रस्तुत करवाया गया है जिसके आधार पर पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 4.4.2016 निरस्त योग्य है । बहस में आगे कथन किया कि राजीनामा के आधार पर पारित डिक्री व्यथित पक्षकार द्वारा समान न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजीनामा डिक्री को निरस्त किये जाने का अनुतोष प्राप्त है तथा समान न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर धारा 96 (1) जा0दी0 के तहत व्यथित पक्षकार को राजीनामा डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत जाने के विधि के तहत अधिकार प्राप्त है तथा अपील न्यायालय को आदेश 43 नियम 1 ए जा0दी0 के तहत राजीनामा की वैद्यता को निर्णित किये जाने का क्षैत्राधिकार प्राप्त है । मूल वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 1 व 5 श्रीमती लाली एवं मोती के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा उक्त प्रकरण की पैरवी प्रतिवादीगण की ओर से सुखराम द्वारा सम्पादित की जा रही थी जिसके द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 शंकरलाल के साथ दुरभि संधि करते

हुए दिनांक 21.10.2008 को तथ्यों को छिपाकर हस्ताक्षर करवाते हुए राजीनामा एवं पारिवारिक समझौता दिनांक 22.10.2008 को प्रस्तुत किया गया है जिसे अधी0न्याया0 द्वारा किसी भी रूप में न तो तस्दीक करवाया गया न ही स्वीकार किया गया । एवं इस कारण निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.2018 द्वारा दत्तक संबंधी विधिवत् दस्तावेज नहीं होने के आधार पर निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्ध प्रथम अपील संख्या 1/2009 मान0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे भी निर्णय व डिक्री दिनांक 11.5.2009 से निरस्त कर दिया गया था । इन दोनों निर्णयों के विरूद्ध द्वितीय अपील संख्या 6960/2009 मान0 राजस्व मण्डल में पेश की गई जिसे आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण को तनकियात कायम कर दोनों पक्षों की साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरांत नवीन रूप से निर्णय पारित करने के निर्देश देकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया गया जिसके आधार पर प्रकरण दिनांक 20.9.2011 को दर्ज कर निर्देशों के विपरीत निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 4.4.2016 को पारित कर दी गई जो निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि राजीनामा व पारिवारिक समझौता अधी0न्याया0 के समक्ष न तो तस्दीक किया गया है तथा न ही साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया गया है परन्तु राजीनामा के आधार पर निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गई जबकि अधी0न्याया0 द्वारा ही राजीनामे को अस्वीकार कर निर्णय व डिक्री दिनांक 24.10.2008 पारित की गई थी । साथ ही निवेदन किया कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 शंकरलाल द्वारा दत्तक ग्रहण के संबंध में विधिवत् रूप से निष्पादित कोई गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में दत्तक पुत्र होने संबंधी तथ्य को निर्धारित किये जाने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय में निहित नहीं करता है । भारतीय संविदा अधि0 की धारा 2 (2) के तहत किसी प्रकार का राजीनामा अथवा इकरारनामा विधिसम्मत् है अथवा नहीं इसका निर्धारण किये जाने का पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व अधी0न्याया0 पर था परन्तु उनके द्वारा इस विधिक तथ्य को नजरअदांज कर निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई है जो विधिविरूद्ध है । बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि के अतिरिक्त खाता संख्या 415 के वर्तमान खसरा नंबर 1697, 1703 व 744 कुल किता 3 कुल रकबा 0.32 है0 भूमि में से सहखातेदार श्रीमती अन्नी पत्नि कालूराम का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् विरासत नामांतकरण संख्या 43 दिनांक 30.8.2012 द्वारा स्व0 श्रीमती अन्नी के हक हिस्से की भूमि समान रूप से अपीलांट एवं रेस्पो0 के नाम दर्ज की गई है जिस भूमि को इकरारनामा दिनांक 21.3.2013 व विक्रय पत्र दिनांक 27.6.2013 के तहत विक्रय किये जाते समय वादी/रेस्पो0 संख्या 1 शंकरलाल द्वारा बतौर गवाह एवं सहमति से हस्ताक्षर किये गये है । इस प्रकार शंकरलाल गोदपुत्र होता तो उक्त इंद्राज एवं अंतरण के संबंध में ऐतराज करता जो नहीं किया गया है । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा राजस्व वाद संख्या 54/2008 दिनांक 8.4.2008 को अधी0न्याया के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें श्रीमती लाली देवी को प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में पक्षकार नियुक्त किया गया जबकि उक्त वाद दिनांक 8.4.2008 को प्रस्तुत होने से पूर्व ही दिनांक 1.9.2004 को अर्थात् चार वर्ष पूर्व ही श्रीमती लाली देवी का स्वर्गवास हो चुका था इसके बावजूद आदेशिका दिनांक 27.5.2008 के द्वारा श्रीमती लाली देवी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है जो पूर्णतया विधिविरूद्ध है तथा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 शंकरलाल का उक्त वाद पत्र मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत होने से विधि के तहत पोषणीय नहीं था । अधी0न्याया0 ने इस कानूनी बिन्दू को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि कारित की है । विधि के तहत गवाह से जिरह नहीं किये जाने पर साक्ष्य विधिसम्मत् नहीं होकर रद्दी कागज

माना जाता है । इसी प्रकार वर्तमान प्रकरण में भी आदेश 18 नियम 4 जा0दी0 की कोई पालना नहीं की गई है एवं न ही आदेश 14 नियम 2 की पालना हुई है। साथ ही निवेदन किया कि तहसीलदार, अजमेर द्वारा प्रकरण के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार श्री मोती का स्वर्गवास वादपत्र के विचाराधीन रहते हुए होने के तथ्य बाबत् लिखित रूप से प्रस्तुत हो गये जिसकी विधिवत् जानकारी अधी0न्याया0 व वादी के अधिवक्ता को रही है इसके बावजूद मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही नही की गई है एवं आदेश 8 नियम 1 जा0दी0 के तहत प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र के कथनों को इंकार करते हुए जवाबदावा प्रस्तुत किया जाता है तो उसी स्थिति में आदेश 14 नियम 1 व 2 के तहत विवाद बिन्दू कायम किये जाकर निर्णय पारित किया जाता है जबकि अधी0न्याया0 द्वारा एक ओर राजीनामा के आधार पर निर्णय पारित किया गया है तथा दूसरी ओर तनकीवार निर्णय पारित किया गया है जो कि विधिक प्रावधानों के तहत स्वंय में ही विरोधाभासी है । साथ ही आदेश 18 जा0दी0 के तहत किसी भी गवाह के साक्षी शपथ पत्र पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति में प्रस्तुत नहीं हुए है तथा न ही साक्षी के शपथ पत्रों को सत्यापित करवाया गया है । अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 12.10.2015 के तहत वादी शंकर लाल का साक्षी शपथ पत्र दिनांक 13.1.2014 को पत्रावली पर लिया गया है जबकि आदेशिका दिनांक 18.8.2015 के तहत तनकियात कायम की गई । इस प्रकार 18.8. 2015 से पूर्व साक्षी शपथ पत्र विधिसम्मत् नहीं था । इसी प्रकार दिनांक 4.1.2016 को प्रतिवादी सुखराम का साक्षी शपथ पत्र पत्रावली पर लिया गया है व दिनांक 8.2.2016 को पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति के साक्षी का शपथ पत्र पी0डब्ल्यू0 2 व 3 प्रस्तुत हुए व दिनांक 22.2.2016 को डी0डब्ल्यू0 3 के साक्षी व शपथ पत्र प्रस्तुत हुए है । इस प्रकार अधी0न्याया0 द्वारा आदेश 18 जा0दी0 में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लघंन कर निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की है । बहस में आगे कथन किया कि राजीनामा के आधार पर डिक्री पारित किये जाने से पूर्व भूमिधारक की सहमति आवश्यक है जबकि अधी0न्याया0 के समक्ष तहसीलदार, अजमेर द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट के माध्यम से आपत्ति एवं असहमति प्रस्तुत की गई थी व नाबालिग शिवजी का साक्षी शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ है जिसके साथ ही प्रेमदेवी जो कि हितबद्ध पक्षकार है को न तो पक्षकार संयोजित किया गया तथा न ही श्रीमती प्रेमदेवी द्वारा कभी भी किसी प्रकार से कोई राजीनामा एवं सहमति तथा विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर ही किये गये है । इसी प्रकार नामांतकरण संख्या 43 दिनांक 30.8.2012 के तहत एवं वादी शंकरलाल स्वंय पारिवारिक सदस्य होने से हरिराम के शेष विधिक वारिसान ममता, अलका व पूजा की विधिवत् जानकारी होने के बावजूद पक्षकार नहीं बनाया गया है । अंत में निवेदन किया कि किसी भी अचल सम्पति में किसी राजीनामा एवं पारिवारिक समझौते के तहत नवीन रूप से किसी व्यक्ति के हक अधिकार सृजित होते है तो ऐसी स्थिति में राजीनामा एवं पारिवारिक समझौता का पूर्ण मुद्रांकित एवं पंजीकृत होना आवश्यक है जबकि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा व पारिवारिक समझौता न तो तस्दीक हुआ है न ही पूर्ण मुद्रांकित एवं पंजीकृत है । ऐसे दस्तावेजों को बिना किसी विधिक आधार के साक्ष्य में ग्राह्य किया जाकर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 4.4.2016 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2006 पेज 400, ए0आइ0आर0 1993 सुप्रीम कोर्ट पेज 1139, डी0एन0जे0 1996 राज0 हाई कोर्ट पेज 1, आर0बी0जे0 2003 पेज 162, आर0बी0जे0 2004 पेज 261 राज0हाई कोर्ट, आर0बी0जे0 1997 पेज 321, आर0बी0जे0 1995 पेज 668, आर0बी0जे0 1997 पेज 524,

आर0बी0जे0 2007 पेज 695, आर0बी0जे01998 पेज 48, आर0बी0जे0 2006 पेज 648, आर0बी0जे0 1996 पेज 341 एवं ए0आइ0आर0 1996 सुप्रीम कोर्ट पेज 196 एवं ए0आई0आर0 1968 सुप्रीम कोर्ट पेज 1299 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत् है। वादग्रस्त भूमि के बाबत् अधी0न्याया0 ने वाद के सभी पक्षकारान ने आपसी सहमति से राजीनामा करते हुए वादग्रस्त भूमि का सहमति से विभाजन करते हुए प्राथमिक डिक्री पारित करवाई और विभाजन प्रस्ताव भी आपसी सहमति से शपथ पत्र देकर कुरेजात बनवाकर प्रस्तुत करवाये थे जिसके आधार पर अधी0न्याया0 ने वाद में अंतिम डिक्री भी पारित की जा चुकी है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि राजीनामा व पारिवारिक समझौता को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है ऐसी स्थिति में स्वीकृत तथ्यों को सिद्ध किये जाने की आवश्यकता नहीं है । अपीलांटस स्वंय द्वारा किये गये राजीनामे से बाधित है, अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष शंकरलाल को अन्नी व कालूराम का दत्तक पुत्र स्वीकार किया है तथा राजीनामा की डिक्री के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है । आगे उन्होंने जा0दी0 की धारा 96 (3) को उद्धरित करते हुए कथन किया कि पक्षकारों की सहमति व स्वीकृति से पारित निर्णय व डिक्री की अपील अपील न्यायालय में पोषणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी जाहिर किया कि अधी0न्याया0 द्वारा तनकीवार निर्णय पारित किया गया है । इस प्रकार अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वादी/रेस्पो0 संख्या 1 शंकरलाल का वाद प्रतिवादीगण के इकबाली जवाबदावा एव राजीनामा के आधार पर डिक्री किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को निर्णित करने हेतु प्रकरण में कुल पांच तनकियात कायम की है।

7. तनकी संख्याः—1— आया कि वाके ग्राम माखुपुरा तहसील व जिला अजमेर में स्थित आराजी खाता संख्या 286/276 के खसरा नंबर 1483 का रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा बा0 3 व खसरा नंबर 1520 का रकबा 19 बिस्वा 10 बिस्वांसी चाह 2 के हक हिस्से के खातेदार अन्नी बेवा कालू का दत्तक पुत्र वादी शंकरलाल होने से उसे उनके हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना चाहिये ? —वादी—

इस तनकी को सिद्ध करने के लिये वादी ने दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ प्रतिवादीगण का इकबाली जवाबदावा एवं शपथ पत्र साक्ष्य स्वरूप पेश किये थे । अधी0न्याया0 ने वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में तनकी संख्या 1 वादी/रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में निर्णित की है । इस संबधं में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद वर्णित आराजी के मूल खातेदार मोती, रतना व कालूराम पुत्रगण स्व0 सवाई थे तथा विवादित आराजियात अविभाजित होकर प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा निहित था । विवादित आराजी में 1/3 हिस्से के सहखातेदार कालूराम व उसकी पत्नि श्रीमती अन्नी थी जिसका नाऔलाद स्वर्गवास हो गया । इसी प्रकार 1/3 हिस्से के सहखातेदार रतना पुत्र सवाई का स्वर्गवास होने के पश्चात् अपीलांट संख्या 1 व 2 एवं रेस्पो0 संख्या 2 रतना के विधिक वारिसान है एवं शेष 1/3 हिस्से के सहखातेदार मोती पुत्री स्व0 सवाई का स्वर्गवास होने के उपरांत अपीलांट संख्या 3 से 7 एवं रेस्पो0 संख्या 1 विधिक वारिसान है । खातेदार कालूराम एवं उसकी पत्नि श्रीमती अन्नी का नाऔलाद

स्वर्गवास होना उभयपक्षकारान द्वारा स्वीकार किया गया है । प्रकरण में विवाद बिन्दु मृतक खातेदार कालूराम पुत्र स्व0 सवाई के 1/3 हिस्से का है । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 शंकरलाल पुत्र मोतीलाल ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया था कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 शंकरलाल पुत्र मोतीलाल को उसकी नाबालिग अवस्था में ही उसके जायंदा माता–पिता के द्वारा मु0 अन्नी बैवा कालूराम को गोद दे दिया था और जात बिरदारी व रस्मो रिवाज के मुताबिक दस्तूर कर गोद में बैठाया तब से उनके पास रहकर ही बड़ा हुआ और वादी के दत्तक माता–पिता ने ही उसका पालन–पोषण किया और पढ़ाया–लिखाया ओर शादी ब्याह किया और उनकी मृत्यु हो जाने पर वादी ने उनके दत्तक पुत्र की हैसियत से क्रियाकर्म एवं बाहरवां आदि सम्पन्न किये है । इसलिये राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित खातेदार अन्नी बेवा कालू के स्थान पर उसके कायम मुकाम दत्तक पुत्र के रूप में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अंकन दर्ज किया जावें तथा उसके 1/3 हिस्से का विभाजन किया जावे । अधी0न्याया0 ने उक्त तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 के इकबाली जवाबदावा मय शपथ पत्रों के आधार पर एवं आपसी सहमति एवं पारिवारिक समझौता व राजीनामा के आधार पर पारित किया है । रिकार्ड से जाहिर है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के विचाराधीन रहते हुए प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती लाली एवं प्रतिवादी संख्या 5 श्री मोती के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है । अपीलांटस का यह भी कथन है कि उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से सुखराम द्वारा समस्त कार्यवाही सम्पादित की जा रही थी जिसके द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या के साथ दुरभि संधी करते हुए दिनांक 21.10.2008 को तथ्यो को छिपाकर हस्ताक्षर करवाते हुए राजीनामा एव पारिवारिक समझौता दिनांक 22.10. 2008 को प्रस्तुत किया गया है तथा उक्त राजीनामा अधी0न्याया0 द्वारा न तो तस्दीक किया गया है न ही स्वीकार किया गया था जिसे अधी0न्याया0 ने अपने पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांक 24.10.2008 द्वारा दत्तक संबंधी विधिक दस्तावेज नहीं होने के आधार पर निरस्त किया है। जब अधी0न्याया0 द्वारा पूर्व में अपने निर्णय दिनांक 24.10.2008 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 को दत्तक पुत्र होना नहीं माना तथा अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं पारिवारिक समझौता तस्दीक नहीं किया गया एवं न ही स्वीकार किया गया है तो उक्त राजीनामा/पारिवारिक समझौता के आधार पर यह किये जाने का कोई विधिसंगत एवं उचित आधार दृष्टिगोचर नहीं होता है । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष दत्तक पुत्र होने के संबंध में पंजीकृत/अपंजीकृत दस्तावेज पेश नहीं किया गया है । इस प्रकार जब अधी0न्याया0 द्वारा अपने पूर्व में पारित निर्णय के द्वारा वर्णित राजीनामे को सही नहीं मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया था तथा मान0 मण्डल के स्तर पर भी समस्त अधी0न्याया0 के निर्णयों खारिज करते हुए प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित कर दिया गया था तो उस निरस्त किये गये राजीनामे को ही आधार मानकर अधी0न्याया0 द्वारा जो प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया है उसे तथ्यात्मक एवं कानूनी रूप से उचित एवं विधिसंगत नहीं माना जा सकता है । यही नहीं वर्णित राजीनामा अधी0न्याया0 में पक्षकारों ने अपनी साक्ष्य में प्रदर्शित भी नहीं करवाया गया तथा इस प्रकार बिना विधिवत् प्रदर्शित राजीनामे को आधार मानते हुए अधी0न्याया0 द्वारा जो निर्णय व डिक्री पारित की गई है उसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वाद में श्रीमती लालीदेवी को प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में पक्षकार संयाजित किया गया है जबकि उक्त वाद दिनांक 8.4.2008 को प्रस्तुत होने से पूर्व ही दिनांक 1.9.2004

को लगभग चार वर्ष पूर्व श्रीमती लाली देवी का स्वर्गवास हो चुका था । इस प्रकार अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही किया जाना तथा मृतक के विरूद्ध वाद पेश होकर मृतक के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित होना प्रतीत होता है। इस कारण भी अधी0न्याया0 अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय विधिसंगत नहीं माना जा सकता है । साथ ही पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 शंकरलाल द्वारा गोद संबंधी तथ्य को किसी भी स्वतंत्र गवाह से सिद्ध नहीं करवाया गया है एवं न ही गोद के संबंध में कोई पंजीकृत अथवा अपंजीकृत गोदनामा ही पेश किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 5 मोती के विधिक वारिसान को आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 के तहत पक्षकार संयोजित किये बिना अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की है जिससे भी अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध ही माना जा सकता है । इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 का यह कथन कि राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री अपील योग्य नहीं है तथा पक्षकार राजीनामे से आबद्ध है, स्वीकार्य है किन्तु हस्तगत प्रकरण के तथ्यों पर यह लागू नहीं माना जा सकता है क्योंकि राजीनामे को अधी0न्याया0 द्वारा वर्ष 2008 में ही पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार कर दिया गया था तथा मान0 मण्डल द्वारा भी प्रकरण को नये सिरे से निर्णित करने बाबत् निर्देश जारी किये गये थे न कि अस्वीकृत राजीनामे को आधार मानकर निर्णय करने हेतु निर्देश जारी किये गये थे । इस कारण रेस्पो0 के अधिवक्ता का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है । रेस्पो0 अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि दत्तक पुत्र बाबत् पत्रावली पर पक्षकारों ने स्वंय स्वीकारोक्ति की है इस कारण उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु इस संबधं में दत्तक संबंधी किसी प्रकार का कोई विधिसम्मत् प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, विधि के प्रतिकूल स्वीकारोक्ति शून्य ही मानी जावेगी । इस कारण अधिवक्ता रेस्पो0 का यह तर्क भी स्वीकार्य नहीं है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट संख्या 7 श्रीमती प्रेमदेवी पुत्री स्व0 मोतीलाल के अधी0न्याया0 के समक्ष की गई कार्यवाही में सहमति एवं हस्ताक्षर विद्यमान नहीं है । यहां तक कि आपसी सहमति एवं राजीनामा से पावारिक विभाजन विलेख दिनांक 21.10.2008 में भी श्रीमती प्रेमदेवी के हस्ताक्षर नहीं है जबकि श्रीमती प्रेमदेवी का विवादित आराजियात में हक व हिस्सा होकर सहखातेदार है तथा बिना सभी सहहिस्सेदारों की सहमति के विभाजन का आदेश विधिसंगत नही माना जा सकता है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि नामांतकरण संख्या 43 दिनांक 30.8. 2012 के अनुसार हरिराम की विरासत में ममता, अलका व पूजा को आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार होने के बावजूद वाद में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है जबकि नैसर्गिक एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार किसी भी पक्षकार को बिना सुने उसके विरूद्ध निर्णय पारित करना विधिसंगत नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में रेस्पो0 अधिवक्ता का यह तर्क कि राजीनामे की अपील पोषणीय नहीं है इस संबंध में धारा 96 (1) जा0दी0 व आदेश 1–ए के प्रावधान सुसंगत है एवं अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0बी0जे0 2006 पेज 400 एवं ए0आई0आर0 1993 सुप्रीम कोर्ट पेज 1139 एवं डी0एन0जे0 2996 पेज 1 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार यदि राजीनामा विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल एवं कपट से प्राप्त किया गया है तो अपील पोषणीय है । इस कारण अधिवक्ता रेस्पो0 का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि हस्तगत विवाद बाबत् बंटवारा है तथा बंटवारे के वाद में भूमिधारक तहसीलदार आवश्यक

पक्षकार है तथा बिना भूमिधारक की सहमति के अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् नहीं मानी जा सकती है ।

उपरोक्तानुसार अधी0न्याया0 ने पूर्व में अस्वीकार किये गये राजीनामे जो कि न्यायालय द्वारा तस्दीक नहीं किया गया था तथा न ही साक्ष्य में प्रदर्शित हुआ था के आधार पर एवं मृतक व्यक्ति के विरूद्ध वाद संस्थित कर तनकी संख्या 1 के संबंध में जो निर्णय पारित किया है वह इन कानूनी त्रुटियों के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः तनकी संख्या 1 के संबधं में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जाता है ।

8. तनकी संख्याः–2– '' आया वाके ग्राम माखुपुरा तहसील व जिला अजमेर में स्थित आराजी खाता संख्या 261/348 के खसरा नंबर 1477 मिन रकबा 1–8–10 बा0 3 एवं खसरा नंबर 1516 का रकबा 2 बिस्वा चाह एवं खसरा नंबर 1517 का रकबा 9 बिस्वा बा0 3 में वादी की माता मु0 अन्नी का आधा हिस्सा होने से व शेष आधा हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को होने से तदानुसार खातेदार काश्तकार स्वीकार कर विभाजन किया जाना चाहिये ?

चूंकि तनकी संख्या 1 का निर्णय वादी/रेस्पो0 के विरूद्ध निर्णित किया गया है एवं अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा व पारिवारिक समझौता पक्षकारान की साक्ष्य में विधिवत् प्रदर्शित नही हुआ है न ही राजीनामे को अधी0न्याया0 द्वारा तस्दीक व स्वीकार किया गया है इस कारण अधी0न्याया0 द्वारा पारित तनकी संख्या 2 का निर्णय उपरोक्त तनकी संख्या 1 के संबंध में दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है तथा इसी कारण तनकी संख्या 2 का निर्णय भी अपास्त किये जाने योग्य है ।

9. तनकी संख्याः–3– आया इकबाली जवाबदावे के अनुसार वाद वादीगण के पक्ष में डिक्री किया जाना चाहिये ?

10. तनकी संख्याः–4– आया वाद पक्ष के पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामे के अनुसार वादी मु0 अन्नी का गोद पुत्र स्वीकार करने से राजीनामे व नक्शा ट्रेस में किये गये विभाजन के अनुसार वाद विभाजन बहक वादी की डिक्री पारित की जानी चाहिये ?

तनकी संख्या 3 एवं 4 परस्पर संबंधित होने से एक साथ निर्णित की जा रही है चूंकि तनकी संख्या 1 में विस्तृत विवेचन किया जाकर तनकी संख्या 1 का निर्णय वादी के विरूद्ध किया गया है अतः तनकी संख्या 3 व 4 भी वादी के विरूद्ध तनकी संख्या 1 में पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में निर्णित की जाती है तथा तनकी संख्या 3 व 4 के संबंध मे पारित अधी0न्याया0 का निर्णय अपास्त किया जाता है ।

11. तनकी संख्याः–5– आया कि वादी के हक हिस्से की आराजी में प्रतिवादीगण व उनके वारिसान रिश्तेदारान सहयोगी को दखल नहीं करने के लिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना चाहिये ?

चूंकि तनकी संख्या 1 में सभी तथ्यों एवं विधि का समग्र विवेचन किया जाकर वादी के विरूद्ध निर्णित की गई है तथा तनकी संख्या 2, 3 एवं 4 भी वादी के विरूद्ध निर्णित की गई है एवं अधी0न्याया0 द्वारा तनकी संख्या 1 लगायत 4 का निर्णय अपास्त किया गया है । अतः इस तनकी का निर्णय भी वादी के विरूद्ध किया जाता है तथा अधी0न्याया0 का इस तनकी के संबधं में किया गया निर्णय अपास्त किया जाता है ।

12. चूंकि अधी0न्याया0 द्वारा पारित तनकी संख्या 1 लगायत 5 का निर्णय अपास्त किया गया है तथा तनकी संख्या 1 में किये गये विस्तृत विवेचन के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण अधी0न्याया0 को पुनः पक्षकारान की साक्ष्य व सबूत का अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर तनकीवार निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

13. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधी0न्याया0 विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 4.4.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में सभी आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकारान को संयोजित कर उभय पक्ष को साक्ष्य, सबूत, सुनवाई का समुचित अवसर देकर तनकीवार गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है । उभयपक्षकारान अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक को अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 4.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर